

## फर्जी सोसाइटी / कम्पनी / डेवलपर के शिकार न बनें

सावधान रहें !!!

कुछ सोसाइटी / कम्पनी / डेवलपर (प्रमोटर) डीडीए की भूमि नीति के नाम पर आकर्षक आवास योजनाओं के बारे में भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं और भूखंड / फ्लैटों की बुकिंग के लिए पंजीकरण राशि वसूल रहे हैं।



अभी तक डीडीए ने भूमि नीति के तहत किसी आवासीय परियोजना को किसी तरह का कोई अनुमोदन / लाइसेंस जारी नहीं किया है।



रियल एस्टेट रेगुलेटरी एथॉरिटी अधिनियम – 2016 के तहत परियोजना के अनुमोदन / लाइसेंस के बिना किसी भी परियोजना में भूखंड / फ्लैट के लिए प्रकाशित किए गए विज्ञापन गैर कानूनी हैं।



निवेश करने से पहले रेरा (RERA) की आधिकारिक वेबसाइट पर अनुमोदित परियोजनाओं की स्थिति जांच लें।



निवेश करने से पहले डीडीए द्वारा प्रमोटर को जारी किया हुआ लेआउट प्लान का अनुमोदन, अनंतिम और अंतिम विकास लाइसेंस का विवरण जांच लें, यदि कोई हो।



ऐसे प्रस्तावों का शिकार होने पर व्यक्ति प्रमोटर के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा, पुलिस स्टेशन कॉम्प्लेक्स, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में शिकायत दर्ज करा सकता है। (पुलिस आयुक्त, दिल्ली को ई मेल लिखें [cp.snsrivastava@delhipolice.gov.in](mailto:cp.snsrivastava@delhipolice.gov.in))

अन्य विवरणों के लिए कृपया <https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/Default.aspx> देखें।

कृपया  Google Play के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) देखें और डायल करें टोल फ्री नं. 1800110332